

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छत्तीसगढ़ नया रायपुर

क्रमांक १७ / त.शा./ प्र.अ./ लो.स्वा.यां.वि./ 2017

नया रायपुर, दिनांक २८-५-१८

तकनीकी परिपत्र क्रमांक-02/2017

.....

विभाग द्वारा स्थल जल प्रदाय योजनाएँ/नलजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायतों से यह लिखित सहमति प्राप्त की जाती है कि वे योजना पूर्ण होने के पश्चात् उसे अपने अधीन लेकर उसका संचालन, संधारण करेंगे। योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् इसके संचालन, संधारण हेतु ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जाती है। संचालन, संधारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को विभाग द्वारा रूपये 5000/- (स्थल जल प्रदाय योजनाओं के लिये) एवं रूपये 15000/- (जल प्रदाय योजनाओं के लिये) वार्षिक अनुदान दो समान किस्तों में दिया जाता है एवं ग्राम पंचायतों से अनुदान राशि की व्यय संबंधी जानकारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित प्राप्त की जाती है।

अतः संचालन, संधारण हेतु ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि जारी करने के पूर्व, विगत जारी अनुदान राशि की व्यय संबंधी जानकारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे ।


प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 क्रमांक १७
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्र. ४२४४/त. शा./ प्र.अ./ लो.स्वा.या.वि./ 2017
प्रतिलिपि—

नया रायपुर, दिनांक २८-५-१८

- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/दुर्ग/अंबिकापुर/कोडागाँव रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- समस्त कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर